कार्यालयः जिला एंव सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर (राज0)

क्रमांकः 202/स्था0 दिनांकः 22 मई, 2020

–: : आ दे श : :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के **परिपत्र संख्याः 14/पी.आई./2020, दिनांक 14–04–2020** व 17/पी.आई./2020, दिनांक 02–05–2020 एवं **18/पी.आई./2020, दिनांक 17–05–2020** व श्रीमान रजिस्टार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा विडियो कान्फ्रेस मे दिये गये निर्देशों के कम में तथा इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर पूर्व में प्रसारित आदेशों के अनुकम में **जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र** के समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी दिवसों मे न्यायालयो के नियमित संचालन की संभावना को देखते हुए प्रत्येक न्यायालय के कार्यालय पूर्व मे दिये गये दिशा निर्देशो की पालना करते हुए दिनांक 26–05–2020 से प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु नियमित रूप से खोला जाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित कर्मचारियों की पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।

समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति बारी–बारी से रोटेशन के आधार पर की जावेगी तथा किसी भी परिस्थिति में कार्मिकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी व जहॉ तक सम्भव हो वृद्व एवं बीमार कर्मचारीको डयूटी से मुक्त रखा जावे तथा कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था इस तरह से होगी ताकि उनके बीच आवश्यक भौतिक/ सामाजिक दूरी बनी रहे।

पीठासीन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय में लम्बित प्रकरणों/ आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु यदि संबंधित पक्षकार सहमत हो तो उनसे लिखित में सहमति प्राप्त की जाकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार वाट्सअप, वी.सी./ स्काईप आदि ऑनलाईन माध्यमों से सुनवाई की जावे।

(हस्ताक्षर)
जिला एंव सैशन न्यायाधीश
जयपुर जिला, जयपुर

5234 to 5246
क्रमांकः ....../स्था0 दिनांकः 22 मई, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है :–

01– श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
02– समस्त पीठासीन अधिकारी, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र।
03– जिला कलेक्टर, जयपुर।
04– पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर/पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण।
05– सहायक निदेशक, अभियोजन, जयपुर ग्रामीण।
06– अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।
07– उप–करापाल, उप–कारागृह, सांभरलेक/कोटपूतली।
08– अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, जयपुर/सांभरलेक/कोटपूतली/शाहपुरा/चौमू/दूदू/ किशनगढ–रेनवाल/फागी/विराटनगर/जमवारामगढ।
09– वरिष्ठ मुन्सरिम/न्यायालय प्रबन्धक/सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर जिला।
10– सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर जिला को उक्त आदेश को जिला न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित न्यायालय को ई–मेल करने हेतु।
11– आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 22/05/2020
प्रशासनिक अधिकारी
जिला एंव सैशन न्यायालय
जयपुर जिला, जयपुर